प्रकरण संख्या 44/2016 देवशंकर बनाम हिम्मतसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.12.2022	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम रामा में आराजी नंबर 1575 व 1577 कुल किता 2 रकबा 0.1400 हैक्टर स्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी की होकर वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने सम्पूर्ण हक हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के यहां रहन रखा है। वादी ने इस भूमि के पूर्व खातेदार जालमसिंह से दिनांक 08.01.2010 को उक्त 1/4 हिस्सा क्रय किया है, तब से शान्ति पूर्वक काबिल चला आ रहा है, किन्तु भूमि का विधिवत विभाजन नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी को बेदखल करने पर आमादा हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी के 1/4 हिस्से का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर दिनांक 12.02.2015 को प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात् टंकण त्रुटि के कारण दिनांक 15.12.2015 को संशोधित प्रारम्भिक डिक्री जारी की एवं प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 27.05.2016 को प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 14.06.2016 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने लिखित बहस भी प्रस्तत की, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अपीलान्ट ने आदेश 41 नियम 27 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि हिम्मतसिंह पिता उदयसिंह ने हिम्मतसिंह पिता चमनसिंह के पक्ष में दिनांक 09–05–2016 को एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया है, जिसकी तत्काल प्रतिलिपि प्राप्त कर प्रस्तुत की जा रही है, जिसे न्यायहित में रेकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है ताकि वास्तविक स्थिति न्यायालय के समक्ष प्रकट हो सके। हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेज रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की सत्य प्रति है। अतः न्यायहित में आदेश 41 नियम 27 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसके साथ संलग्न विक्रय पत्र की सत्य प्रति को रेकार्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.05.2016 में दर्शाया कि बंटवारा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.01.10 12:46:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 44/2016 देवशंकर बनाम हिम्मतसिंह

रहेगा तथा आदेश में बताया कि प्रतिवादी संख्या 1 बंटवारा रिपोर्ट से सहमत नहीं हुए। अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है, जो आदेशिका दिनांक 12.02.2015 से स्पष्ट है। दिनांक 17.05.2016 व दिनांक 05.10.2012 के दो नक्शा ट्रेस अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध हैं, जिनमें बहुत अन्तर है। अधिनस्थ न्यायालय ने केवल नक्शे के आधार पर निर्णय पारित किया है। दौराने अपील एक विक्रय दिनांक 09.05.2016 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में कर दिया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 12.02.2015 अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 अर्थात हाल अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का खारिज करते हुए उसी दिन उसका जवाब बन्द करने का आदेश दिया गया, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त हम यह भी पाते हैं कि पटवारी द्वारा जो मौका रिपोर्ट तैयार की गयी है, जिसे तहसीलदार द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.05.2016 को प्रस्तुत की गयी है एवं उसी दिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि पक्षकारान को सुनवाई का यथोचित अवसर नहीं दिया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि तहसीलदार स्वयं मौके पर उभयपक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें, तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.02.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.01.10 12:46:27 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर